न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—616/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—252/26
बिहार राज्य बनाम् नथुनिया देवी।

नथुनिया देवी, पति—सिकन्दर मांझी उर्फ शोभी मांझी, उम्र लगभग 48 वर्ष, साकिन—जमालपुर, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा। ....आवेदिका।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदिका की ओर से : श्री लालु कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

08.06.2026 काराधीन अभियुक्ता नथुनिया देवी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 02.06.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं0—252/26 के अंतर्गत 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदिका के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्ता के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदिका निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया बल्कि स्थानीय राजनीति के कारण इस झूठे और मनगढ़ंत मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्ता के सचेतन कब्जे से कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। आवेदिका एक गरीब महिला है, जो घर में ही रहकर घरेलु कार्य करती है, जिसे पुलिस के द्वारा झूठा फंसाया गया है तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष जप्ती सूची नहीं बनाई गयी है, पुलिस गवाह के समक्ष जप्ती सूची बनाई गयी है। आवेदिका को अगर श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा दी जाती है तो कभी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगी, तथा हर आदेश को मामने को तैयार है। आवेदिका दिनांक 02.06.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्ता को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—616/2026
उत्पाद थाना कांड सं0—252/26
बिहार राज्य बनाम् नथुनिया देवी।

लगातार

08.06.2026

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना को दिनांक 01.06.2026 को समय करीब 06:30 PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि शेखपुरा थाना अंतर्गत जमालपुर गॉव में नथुनिया देवी, पति—सिकन्दर के द्वारा अपने घर के पास चुलाई शराब बिक्री कर रही है। तत्काल छापामारी करने पर उक्त महिला की गिरफ्तारी हो सकती है तथा शराब की बरामदगी हो सकती है। सूचना को सत्यापित कर वरीय पदाधिकारी को सूचना से अवगत कराया, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें गृहरक्षक, महिला सिपाही, म0नि0 सिपाही एवं सैप बल को छापेमारी दल में शामिल कर समय करीब 07:30 PM बजे शेखपुरा थाना अंतर्गत जमालपुर गॉव में नथुनिया देवी, पति—सिकन्दर मांझी के घर के पास पहुंचा, तो देखा कि एक महिला अपने दाहिने हाथ में एक पीला रंग का प्लास्टिक का डब्बा लेकर भागने की प्रयास की। मेरे कहने पर शामिल गृहरक्षक महिला सिपाही द्वारा उक्त महिला को घर के आगे मुख्य दरवाजा पर ही पकड़ लिया गया। पकड़ायी महिला को अपना पहचान बताकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नथुनिया देवी, पति—सिकन्दर मांझी, उम्र लगभग 48 वर्ष, साकिन—जमालपुर, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा बतायी। तत्पश्चात तलाशी नियमों का विधिवत पालन करते हुए नियमानुसार नथुनिया देवी के कब्जे से बरामद 15 लीटर क्षमता वाला पीले रंग के गोल प्लास्टिक का डब्बा पाया गया। डब्बा के अन्दर 250 एम0एल0 का 48 पाउच चुलाई शराब पाया गया। कुल चुलाई शराब की मात्रा—12.000 लीटर बरामद व जप्त हुआ। विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्ता इस वाद में दिनांक 01.06.2026 से काराधीन है। घटनास्थल से 12.000 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्ता के विरूद्ध इस केस अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदिका महिला है। इनके विरूद्ध अनुसंधान जारी है तथा अंतर्गत धारा 100 Cr. P.C, संशोधित धारा 103(4) बी0एन0एस0एस0 का उल्लंघन है।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–616/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–252/26
बिहार राज्य बनाम् नथुनिया देवी।

लगातार

08.06.2026

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदिका की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदिका की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्ता को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगी।
2. आवेदिका आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगी,
3. आवेदिका के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 08.06.2026.

Date of Judgment/ Order	08–06–2026
Date of Reserving Judgment/Order	08–06–2026
Uploading Date	09–06–2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.